आयोजनागत
संख्या–930 / XXIV(8) / 2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिक महाविद्यालय,
पन्तनगर।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर 2005

विषयः– प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर में, कम्प्यूटोनिक्स काम्पलेक्स फेज–3 के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सीटी / आयोजनागत / 05–06 / 463 दिनांक 3.10.2005 एवं शासनादेश संख्या– 290 / प्रा0शि0 / 2003 दिनांक 24.9.2003 तथा शासनादेश संख्या–166 / XXIV(8) / 2005 दिनांक 11.3.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर में निर्माणाधीन कम्प्यूटोनिक्स काम्पलेक्स फेज–3 के निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन रू0 134.84 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 60.00 लाख को समायोजित करते हुए इस कार्य हेतु सम्प्रति रू0 74.84 लाख (रूपये चौहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

7- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

2- संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। सबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल एवं शासन को तत्काल भेजी जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या -11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2203- तकनीकी शिक्षा - आयोजनागत - 00 - 112 - इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान -03 -00- पन्त कालेज आफ टैक्नोलाजी पन्तनगर को सहायक अनुदान- 20 - सहायक अनुदान / अशदान / राजसहायता के मदें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 114/वि0 अनु0-3/2005 दिनांक 21.11.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
3. जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, पन्तनगर, उधमसिंहनगर।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. आयुक्त कुमायूं/ गढवाल मण्डल, उत्तरांचल।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

1106